न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—43 / 2022 (2022 / 163) वाद पत्र

अनवान

1. कन्हैयालाल पिता बंशीलाल दर्जी निवासी नाहरी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1. जगदीशचन्द्र पिता भैरूलाल नाई निवासी नाहरी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. जमनालाल पिता भैरूलाल नाई निवासी नाहरी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. सत्यनारायण पिता भैरूलाल नाई निवासी नाहरी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. डालचन्द उर्फ गणपत पिता भैरूलाल नाई निवासी नाहरी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. जगदीश पिता जैकिशन लखारा निवासी नाहरी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. रतनलाल पिता जैकिशन लखारा निवासी नाहरी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 183, 188, 179 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति

1. हरीश टेलर —

वादी अधिवक्ता

निर्णय

दिनांकः—14.06.2022

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम नाहरी पटवार मण्डल नाहरी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा के बैरून हल्का आबादी में वादी की खातेदारी अधिकार एवं कब्जे की आराजी संख्या 3066 / 1143 रकबा 0.74 हैक्ट भूमि राजस्व खाता संख्या 49 पर वादी के नाम पर दर्ज होकर स्थित है। प्रमाण में हाल नकल जमाबंदी मय नक्शा ट्रेस के साथ प्रस्तुत है। प्रतिवादीगण ने जुन 2021 से वादी की उक्त आराजियात में सीमा संबंधी विवाद करने लग गये और कब्जा करने की नियत से आये दिन वादी की उक्त आराजी में नाजायज दखलदांजी करने लग गये और दिनांक 10.11.2021 को प्रतिवादीगण ने जेसीबी द्वारा मिट्टी का डोल डाल दिया है, और थौहरों की बाड़ व छडिया डालकर वादी की उक्त आराजी पर बलात कब्जा कर लिया और वादी को जबरन ताकत के बल पर बेदखल कर दिया, और वादी को धमकी दी कि हमारी जमीने तुम्हारे अन्दर आ रही हैं, इसलिये कब्जा किया हैं, तो मुझ वादी ने प्रतिवादीगण को कहा कि तुम सहमति से पत्थरगढ़ी करवा लो किन्तु वह टालम टोल करते रहे वादी ने उसकी उक्त आराजी की पत्थरगढ़ी करवाने बाबत् प्रार्थना पत्र न्यायालय श्रीमान् में प्रस्तुत किया, जिसके प्रकरण संख्या 84 / 2021 होकर दिनांक 29.12.2021 को स्वीकार फरमाया जाकर पत्थरगढ़ी करने का आदेश प्रदान किया गया तथा उक्त आदेश की पालना में दिनांक 15.03.2022 की पालना में पटवारी हल्का व गिरदावर सर्कल द्वारा दोनों पक्षों की उपस्थिति में मौके पर जाकर पथरगढ़ी की गई। जिसमें वादी की उक्त आराजी में 0.27 हैक्ट रकबे पर प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 04 के द्वारा जेसीबी मशीन से डोल डालकर व थौहरों की बाड़ लगाकर कब्जा होना पाया गया तथा 0.35 हैक्ट, रकबे पर प्रतिवादी संख्या 05 का डोल डालकर व थौहरों की बाड़ लगाकर कब्जा पाया गया तथा करीबन 0.12 हैक्ट रकबे पर प्रतिवादी संख्या 06 का बलात आधिपत्य पाया गया। जिसका मौका पर्चा उसी दिन मौके पर मुर्तिब किया। जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि साथ प्रस्तुत है। वादी की उक्त भूमि पर प्रतिवादीगण का कोई हक एवं अधिकार नहीं हैं तथा उक्त भूमि पर वादी को जबरन ताकत के बल पर बेदखल किया हैं, और वादी की उक्त खातेदारी भूमि पर प्रतिवादीगण ने बलात आधिपत्य कर रखा हैं, जिससे वे वादी की भूमि के अतिक्रमी हैं, तथा पत्थरगढ़ी होने के पश्चात् भी वादी ने उनको वादी की भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिये कहा, तो दिनांक 15.03.2022 को ही प्रतिवादीगण ने अतिक्रमण हटाने से इंकार कर दिया। जिससे

वादी प्रतिवादीगण के विरूद्ध कब्जेयाबी की डिक्री जारी कराने हेतु यह वाद पत्र प्रस्तुत कर रहा हैं, और जरिये कब्जेयाबी की डिक्री के वादी प्रतिवादीगण के द्वारा किये गये अतिक्रमण को हटाकर पुनः कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी हैं। अतः वादी की सादर प्रार्थना है कि कब्जेयापी की डिकी बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण इस आशय की फरमाई जावे कि राजस्व ग्राम नाहरी में वादी की खातेदारी आराजी संख्या 3066/1143 रकबा 0.74 है0 भूमि में प्रतिवादीगण द्वारा किये गये बलात् आधिपत्य को हटाया जाकर प्रतिवादीगण इसका कब्जा पुनः वादी को सिपूर्द करे। साथ ही स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण इस आशय की फरमाई जावे कि वादी की खातेदारी की उक्त वर्णित भूमि पर प्रतिवादीगण किसी प्रकार का स्थाई एवं अस्थाई निर्माण न तो स्वयं करे न ही किसी अन्य से करावे। भूमि को भारग्रहित नही करे। यदि दौराने सुनवाई प्रतिवादीगण द्वारा वादी की भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण कर लिया जावे तो उसे जरिये आदेशात्मक आज्ञा से हटाया जाकर वादी की भूमि को पुनः पूर्ववत स्थिति में लाया जाकर उसका कब्जा वादी को सिपूर्द करवाया जावें।

प्रस्तुत वाद पत्र के आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को सम्मन जारी किया गया सम्मन की पालना में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से एकतरफा कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया।

वादी अधिवक्ता की एकतरफा बहस सुनी गई।

वादी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में वादपत्र को दोहराते हुए बताया कि वादी के नाम दर्ज खातेदारी आराजी पर प्रतिवादीगण का कब्जा पाया है जिसको पुनः वादी को कब्जा दिलाया जाने का निवेदन किया गया।

मैने पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन करने एवं वादी अधिवक्ता की बहस सुनने पर पाया कि वादी की खातेदारी अधिकार की आराजी संख्या 3066/1143 रकबा 0.74 है0 भूमि दर्ज रेकार्ड है। प्रतिवादीगण वादी की आराजी पर अतिक्रमी की हैसियत से काबिज है जो पत्थरगढ़ी के मौके पर्चे में स्पष्ट अंकन किया गया है। वादी की खातेदारी भूमि पर प्रतिवादीगण का कब्जा पाया गया है जो कब्जा वादी लेने का अधिकारी है। प्रतिवादीगण वादी की भूमि पर काश्त करने का कोई अधिकार प्राप्त नही होते है। ऐसी स्थिति में वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादीगण द्वारा अन्तर्गत धारा 183, 188, 179 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम नहरी की आराजी संख्या 3066/1143 रकबा 0.74 है0 भूमि में से 0.27 हैक्ट रकबे पर प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 04 के कब्जे को व 0.35 हैक्ट, रकबे पर प्रतिवादी संख्या 05 के कब्जे को एवं करीबन 0.12 हैक्ट रकबे पर प्रतिवादी संख्या 06 के कब्जे को हटाया जाकर वादी को दिलाया जावे एवं इसी के साथ बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वादी की खातेदारी की उक्त वर्णित भूमि पर प्रतिवादीगण किसी प्रकार का स्थाई एवं अस्थाई निर्माण न तो स्वयं करे न ही किसी अन्य से करावे। इसी अनुसार डिक्री जारी हो। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 14.06.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

14.06.2022
सुन्दरलाल बम्बोडा
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

मूल वाद मे अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 रूल्य 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः–श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–43/2022 (2022/163) वाद पत्र

अनवान

1. कन्हैयालाल पिता बंशीलाल दर्जी निवासी नाहरी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1. जगदीशचन्द्र पिता भैरूलाल नाई निवासी नाहरी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. जमनालाल पिता भैरूलाल नाई निवासी नाहरी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. सत्यनारायण पिता भैरूलाल नाई निवासी नाहरी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. डालचन्द उर्फ गणपत पिता भैरूलाल नाई निवासी नाहरी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. जगदीश पिता जैकिशन लखारा निवासी नाहरी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. रतनलाल पिता जैकिशन लखारा निवासी नाहरी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 183, 188, 179 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वादीगण द्वारा अन्तर्गत धारा 183, 188, 179 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम नहरी की आराजी संख्या 3066/1143 रकबा 0.74 है0 भूमि में से 0.27 हैक्ट रकबे पर प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 04 के कब्जे को व 0.35 हैक्ट, रकबे पर प्रतिवादी संख्या 05 के कब्जे को एवं करीबन 0.12 हैक्ट रकबे पर प्रतिवादी संख्या 06 के कब्जे को हटाया जाकर वादी को दिलाया जावे एवं इसी के साथ बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वादी की खातेदारी की उक्त वर्णित भूमि पर प्रतिवादीगण किसी प्रकार का स्थाई एवं अस्थाई निर्माण न तो स्वयं करे न ही किसी अन्य से करावे।

डिकी आज दिनांक 14.06.2022 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर सुनायी गयी।

14.06.2022

(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा